भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3563
सोमवार, 10 अगस्त, 2026/ 19 श्रावण, 1948 (शक)

बहराइच और गोंडा ज़िले में ई-श्रम पंजीकरण

†3563. श्री करण भूषण सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के बहराइच और गोंडा ज़िलों में जुलाई 2023 के ज़िला-वार डेटा के आधार पर, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या कितनी है;
(ख) पंजीकरण वर्ष 2024 और 2025 के दौरान सत्यापित किए गए और अद्यतन किए गए पंजीकरण वाले कामगारों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या इन पंजीकरणों का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुरक्षित किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इन ज़िलों में प्रवासी और कृषि कामगारों के पंजीकरण और प्रोफ़ाइल-अद्यतन में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के निर्माण के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

31.84 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 8.46 करोड़ असंगठित कामगार उत्तर प्रदेश के हैं।

जुलाई 2023 से अब तक, बहराइच जिले में कुल 48,532 असंगठित कामगारों और गोंडा जिले में 22,595 असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया गया है।

जारी/2–

ई-श्रम पोर्टल में, आधार आधारित ईकेवाईसी के सफल प्रमाणीकरण के पश्चात ही पंजीकरण किए जाते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नकली अथवा कपटपूर्ण पंजीकरण को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा, डेटा की प्रामाणिकता और सटीकता बनाए रखने के लिए नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्थायी पता और फोटो जैसे प्रमुख मदों को सीधे यूआईडीएआई से प्राप्त किया जाता है। ये उपाय, सामूहिक रूप से पोर्टल की सत्यनिष्ठा की रक्षा करते हैं और किसी भी दुरुपयोग को रोकते हैं।

ई-श्रम पोर्टल में देश भर के असंगठित कामगारों के पंजीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ई-श्रम पोर्टल पर ये ब्यौरे व्यवसाय-वार, लिंग-वार और वर्ष-वार भी उपलब्ध हैं।

ई-श्रम पहल के अंतर्गत पंजीकरण बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के बहराइच और गोंडा जिलों सहित सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में प्रवासी और कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व पंजीकरण को समर्थ बनाने के अलावा, कामगारों के लिए सुलभ पहुंच को सुविधाजनक बनाने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों(सीएससी), राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता प्राप्त पंजीकरण मोड शुरू किए गए हैं। ई-श्रम में यह भी प्रावधान है कि पंजीकृत कामगार ई-श्रम पोर्टल अथवा सामान्य सेवा केंद्रों(सीएससी) के माध्यम से अपनी प्रोफाइल को अद्यतन कर सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पंजीकरण अभियान, सामुदायिक पहुंच कार्यक्रम और स्थानीय रूप से तैयार संचार संबंधी प्रयासों से युक्त लक्षित जागरूकता अभियान चला रहा है। पहुँच को और सुदृढ़ बनाने हेतु, मंत्रालय, वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य सूचनाप्रद सामग्री प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करता है, जिससे यह पहल और अधिक सुलभ और आकर्षक हो जाती है।

असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम और इससे सम्बद्ध सेवाओं की उपलब्धता तथा पहुंच को और बढ़ाने हेतु, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से 24 फरवरी 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। यह एप्लिकेशन ई-श्रम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक 'रियल टाईम' पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पहुंच और प्रयोक्ता सुविधा दोनों में काफी सुदृढता आती है।
